



2026:AHC:23336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या 2312 वर्ष 2026

श्रीमती धनवंती (अब दिवंगत)

बनाम

उपखंड मजिस्ट्रेट (न्यायिक) और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: स्वयं

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. हमने याचिकाकर्ता की ओर से स्वयं उपस्थित हुए अधिवक्ता श्री लाल चंद्र श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता श्री आज़ाद राय की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

2. याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 1804 वर्ष 2017 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी201702323091804 (श्रीमती धनवंती (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम ग्राम पंचायत गौहानी) के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.11.2024 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया था, जिसके विरुद्ध उपरोक्त निजी प्रत्यर्थियों ने एक रिकॉल आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 14.07.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त मामले में कोई और कार्यवाही शुरू नहीं की गई और/या कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मामले का शीघ्रता से निस्तारण करेगा।

4. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 और 5 को नोटिस जारी करने से छूट दी गई थी, साथ ही उन्हें तीस दिनों की अवधि के भीतर, यदि वे ऐसा चाहें, तो वापसी आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है।

5. उपरोक्त मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से विधि के अनुसार, शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, पूरे मामले का निस्तारण करे।

2 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"